

- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी वी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संस्था में समस्त उपरोक्तित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध टाकर किया जाता है तथा टाकर बंध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को कारणी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु सफ्टवेयरिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सफ्टवेयरिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, बालक, साब-सजा, उपकरण, जात किया जाने वाला सुल्क, छात्रावास सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान प्रविधिक हेतु उपयुक्त कलाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोलाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कारणों पर अधिरोक्त भूमि, भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीय निर्दिष्ट होना यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साब-सजा ए0आई0सी0आई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा वाली का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन-0522-2411001/0522-2411002/0522-2411003/0522-2411004/0522-2411005

दिनांक: 08/08/2021

प्रीति-0522-2411001

DEPARTMENT OF MAHARAJA HARISHCHANDRA COLLEGE OF HIGHER EDUCATION VILLAGE GAURKHERA, TEHSIL, SAWAYALPUR, DISTRICT HARDOI - 241123, U.P.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, UTTAR PRADESH

EXTENSION OF AFFILIATION FOR EXISTING INSTITUTIONS, SESSION 2023-2024

INSTITUTE INFORMATION

Name: *********

Institute's Information

Institute Code:

Name of Institution:

2045

GANAPATI HANDESHWARA COLLEGE OF HIGHER EDUCATION

Type:

Group:

Level:

Establishment Year:

ph

cond

Course

2023

Principal Name:

Mobile:

DR. DEEPA MISHRA

9801237534

Institute Type*

Pharmacy

PG Permanent ID*

PG File (PG/004/2023/20)

PG 1203

Yes

Upload PG File (PG/004/2023/20)

PG

Choose File No file chosen

Course Details With Intake

Sr.	Name of Course	Existent Intake (2021-2022)	Existent Intake (2022-2023)	Remarks	Action
1	DIPLOMA IN PHARMACY--B14	60	60	No change	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
	<input type="text" value="Select Course"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="remarks"/>	<input type="button" value="Save"/>

Update

Copyright © 2022. All Rights Reserved.